

पत्रांक-10/न4-041/07मा0-
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 इन्दुमिटी सेक्टर,
नई दिल्ली-110092।

बटना, दिनांक- मार्च, 08।

विषय:- इकरा पब्लिक स्कूल, सुरापुर, सिवान को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक 3-4-2006 के आशोक में जिना शिक्षा पदाधिकारी सिवान से प्राप्त जॉय प्रतियेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा इकरा पब्लिक स्कूल सुरापुर सिवान को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुमति दी गयी है। समिति की अनुमति के आशोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

1- विद्यालय का संयोजन निर्बंधित एडुकेशनल स्पण्ड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है तथा विद्यालय के निर्बंधित सोसाईटी में एक परिवार का प्रभुत्व न होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया है। ट्रस्ट के सदस्यों की सूची दी गयी है, परन्तु सभी का पेशा सामाजिक कार्यकर्ता बताया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता एक सामान्य संबद्ध है। इससे वास्तविक व्यवसाय का पता नहीं चलता है। शर्त के अनुसार विद्यालय के ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य के वास्तविक पेशा को स्पष्ट करना चाहिये। सदस्यों की सूची संलग्न है।

2- विद्यालय ने किसी निर्बंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी प्रथा किसी विद्यालय के ब्रेड एडवेंचर नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3- विद्यालय को निर्बंधन के माध्यम से 2 एकड़ 10 कठ्ठा भूमि 30 वर्षों के बीज पर उपलब्ध है, जिस पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के मापदंड के अनुसार कमरे निर्गत है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधार भूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुसार हैं।


Manager
IQRA PUBLIC SCHOOL
Haque Nagar, Surapur, Siwan-841226


Principal
Iqra Public School
Haque Nagar, Surapur, Siwan
School code-65207, Aff. No. 330213

4- विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करने की दावा की गयी है तथा शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने हुए पारदर्शिता बरती गयी हो। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रसिद्ध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है।

5- विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6- विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकित तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है।

विद्यालय आने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7- विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सन्मति दी गयी है कि उसे विशासीय अधिसूचना संख्या-238 दिनांक 3-4-2006 में उल्लिखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है। अपेक्षित शर्तों के अनुसार:-

§ 1.1 विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे द्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकारं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रुपया प्रतिवर्ष होंगे।

§ 1.1.1 विद्यालय में नर्सरी/के०जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार बच्चों एवं माता/पिता सहित नहीं किया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो छुने तरीका से

के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा

§ 1.1.1.1 नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।



Manager
IQRA PUBLIC SCHOOL
Haque Nagar, Surapur, Siwan-841226



Principal
Iqra Public School
Haque Nagar, Surapur, Siwan
School code-65207, Aff. No. 330213

§ § जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे नी गह्र आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस नौटाने की व्यवस्था होगी ।

8- यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है फिर भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित करे गे कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संयोजित है।

9- साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं ओर्धित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

10- विभागीय पत्रांक 46 दिनांक 18-1-2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक ढण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा ।

11- विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय बुला रहेगा ।

12- उपरोक्त नध्यों के आशोक में तथा वर्धित शर्तों के आधार पर तथा इकरा पब्लिक स्कूल सुरापुर सिवान को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

विश्वासभाजन,

EO/-

निदेशक/माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापक-

392

पटना, दिनांक- 9/मार्च, 08 ।

प्रतिनिधि इकरा पब्लिक सुरापुर, सिवान को सूचनार्थ एवं आकायक कार्यार्थ प्रेषित ।

27/3/08

निदेशक/माध्यमिक शिक्षा।

27/3/08

Attest
Manager

Principal
Iqra Public School
Haque Nagar, Surapur, Siwan
School code-65207, Aff. No. 330213